कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री जैनपर होम डेको प्राइवेट लिमिटेड, अख्तर बिल्डिंग, 36, तवेला स्ट्रीट, मुरादाबाद।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**058 / 14, 24.11.2014**
प्रार्थी की ओर से	**श्री अनिल गोयल, विद्वान अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री जैनपर होम डेको प्राइवेट लिमिटेड, अख्तर बिल्डिंग, 36, तवेला स्ट्रीट, मुरादाबाद द्वारा दिनांक 24.11.2014 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की निम्नलिखित प्रविष्टि संख्या-48 का सन्दर्भ दिया गया है :-

प्रविष्टि संख्या-48

Ferrous & non-ferrous metals & alloys, non-metals, such as aluminium, copper, zinc & extrusions of those including Rods,tubes,angles,channels and sections of all size and measurement and rolled products (including sheets,plates and circles of all size and measurement) ; Wires and Wire drawings

उक्त के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित प्रश्नों का विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है :-

1. Aluminium Circles / sheet / strip पर, कर की देयता की स्थिति।
2. Pressure Cooker निर्माताओं को उक्त Aluminium Circles / sheet / strip की बिक्री किये जाने पर, कर की दर की स्थिति।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री अनिल गोयल, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि उक्त प्रविष्टि संख्या-48 के सामान्य अध्ययन से स्पष्ट है कि Aluminium Sheet / Plate / Circle / Strip प्रथम दृष्टया उससे आच्छादित हैं, तथा 4% की दर से अतिरिक्त कर सहित 5% की दर से करयोग्य होना चाहिए। प्रार्थी द्वारा प्रेशर कुकर निर्माताओं को Aluminium Circles / sheet / strip की बिक्री किये जाने पर कर की स्थिति के समर्थन में M/s HINDALCO INDUSTRIES LTD. के बिल संख्या-14033705, दिनांक 18.12.2014 की छाया प्रति प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया गया है कि कम्पनी द्वारा प्रेशर कुकर सर्किल की बिक्री पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-48 के अन्तर्गत 4% की दर से करदेयता एवं नियमानुसार अतिरिक्त कर सहित स्वीकार की जा रही है।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, मुरादाबाद जोन मुरादाबाद द्वारा पत्र संख्या-2600, दिनांक 07.01.2015 से प्रेषित बिन्दुवार आख्या निम्नवत है :-

....2

बिन्दु संख्या-1

What is the rate of tax on Aluminium Circles / sheet / strip in the light of the Entry No. 48 of Schedule-II Part-A ?

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-48 का निम्न प्रकार उल्लेख किया गया है :-

Ferrous & non-ferrous metals & alloys, non-metals, such as aluminium, copper, zinc & extrusions of those including Rods,tubes,angles,channels and sections of all size and measurement and rolled products (including sheets,plates and circles of all size and measurement) ; Wires and Wire drawings

इस श्रेंणी के अन्तर्गत 4% + 1% कुल 5% की दर से करदेयता है। विज्ञप्ति संख्या-1021, दिनांक 09.04.2008 द्वारा (The words including rods, tubes, angles, channel and sections of all size and incasurement and rolled products including sheets, plates and circles of all size and measurement; wires and wire drawing have been inserted form 09.04.2008 by Notifi. No. 1021 dt. 09.04.2008) जोड़ा गया है। इस प्रकार Aluminium Circles / sheet / strip पर करदेयता 4% + 1% कुल 5% की दर से है।

बिन्दु संख्या-2

Whether the rate of tax on Aluminium Circles / sheet / strip will be different if they are sold to the Manufacturer of Pressure Cookers ?

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत उक्त वस्तु की बिक्री पर 4% + 1% की दर से ही करदेयता है। उक्त वस्तु की बिक्री की शर्तों का उल्लेख एक्ट में नहीं है। अत: उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-ए के क्रमांक-48 के अनुसार ही करदेयता 4% + 1% कुल 5% की दर का विधान है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि पूर्व में शासन की विज्ञप्ति संख्या-2643 (2) / 79-V-I-07-2 (KA) 41 / 2007 , दिनांक 20.12.2007 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-48 मूल रूप में निम्नवत् थी :-

Ferrous & non-ferrous metals & alloys, non-metals, such as aluminium, copper, zinc & extrusions of those

जिसे बाद में विज्ञप्ति संख्या-KA.NI-2-1021 / XI......, दिनांक 09.04.2008 के अन्तर्गत अन्य वस्तुओं को शामिल करते हुए उक्त प्रविष्टि संख्या-48 निम्नवत् जारी की गयी :-

Ferrous & non-ferrous metals & alloys, non-metals, such as aluminium, copper, zinc & extrusions of those including Rods,tubes,angles,channels and sections of all size and measurement and rolled products (including sheets,plates and circles of all size and measurement) ; Wires and Wire drawings

पूर्व में जारी विज्ञप्ति के क्रम में Aluminium sheet एवं Circles उक्त प्रविष्टि संख्या-48 में सम्मिलित

....3

नहीं थी, परन्तु बाद में जारी विज्ञप्ति संख्या-1021, दिनांक 09.04.2008 में शामिल करते हुए प्रविष्टि संख्या-48 में सम्मिलित की गयी।

जहाँ तक Pressure Cookers Manufacturer के द्वारा Aluminium sheet एवं Circles की खरीद किये जाने की स्थिति में कर की दर के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि चूँकि प्रश्न से आच्छादित वस्तु उक्त प्रविष्टि संख्या-48 से आच्छादित होने के कारण भिन्न दर से करयोग्य नहीं हो सकती, परन्तु यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रेशर कुकर निर्माताओं द्वारा निर्माण में प्रयोग किये जा रहे माल के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये M/s HINDALCO INDUSTRIES LTD. के बिल के अवलोकन पर अंकित माल का विवरण प्रार्थी द्वारा घोषित वस्तु Aluminium Circles / sheet / strip से भिन्न प्रेशर कुकर सर्किल अंकित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस बिन्दु पर प्रार्थी का प्रश्न भ्रामक होना बताते हुए प्रश्न संख्या-2 का विनिश्चय माल की प्रकृति के अनुरूप ही किया जाना अपेक्षित है। जहाँ तक प्रेशर कुकर में प्रयुक्त सर्किल Aluminium alloy Circle होती है जिसमें Aluminium के अलावा अन्य मैटिरियल जैसे-copper, magnesium, manganese, silicon, tin एवं zinc का मिश्रण होता है। अत: कुकर के निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली वस्तु Aluminium Alloy Sheet / Circle के विनिश्चय से सम्बन्धित प्रश्न प्रार्थना-पत्र से आच्छादित न होने के कारण प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र की विषय वस्तु नहीं हो सकती है।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, मुरादाबाद जोन मुरादाबाद द्वारा प्रेषित आख्या एवं मामले से सुसंगत विधिक प्राविधानों का परिशीलन किया गया। विचारोपरान्त पाया गया कि Aluminium Circles / sheet / strip की करदेयता के बिन्दु पर सन्दर्भित उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-48 में दिनांक 09.04.2008 के पूर्व Aluminium sheet एवं Circle सम्मिलित नहीं थी जिसे शासन की विज्ञप्ति संख्या-1021, दिनांक 09.04.2008 से प्रविष्टि संख्या-48 में Aluminium sheet एवं Circle के सम्मिलित हो जाने के कारण इस पर करदेयता के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में Aluminium sheet एवं Circle के साथ-साथ strip पर भी कर के विनिश्चय के सम्बन्ध में उक्त शूड्यूल-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-48 से आच्छादित होने के सम्बन्ध में जो तर्क दिया गया है, के सम्बन्ध में जॉचोपरान्त यह परिलक्षित हुआ कि उक्त प्रविष्टि संख्या-48 के अन्तर्गत strip सम्मिलित न होने के कारण उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भॉति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी। अत: प्रथम प्रश्न का विनिश्चय तद्नुसार किया जाता है।

जहॉ तक प्रेशर कुकर निर्माताओं को Aluminium sheet / Circle की बिक्री किये जाने पर इस वस्तु पर करदेयता के निर्धारण का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि किसी वस्तु की करदेयता उसकी प्रकृति के अनुरूप निर्धारित होती है। यदि सम्बन्धित वस्तु Aluminium sheet / Circle है तो उस पर कर की दर उपरोक्तानुसार उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि

....4

संख्या-48 से आच्छादित होगी, तथा किसी व्यापारी विशेष को बिक्री किये जाने की स्थिति में भिन्न दर से करदेयता का कोई प्रश्न नहीं उठता। प्रेशर कुकर निर्माताओं को बिक्री के सन्दर्भ में प्रार्थी द्वारा M/s HINDALCO INDUSTRIES LTD. का बिल संख्या-14033705, दिनांक 18.12.2014 प्रस्तुत किया गया है। इस बिल पर Aluminium Circle अंकित नहीं है। बल्कि प्रेशर कुकर सर्किल अंकित है। यह वस्तु Aluminium Circle होना प्रमाणित नहीं है। अत: इस बिल में अंकित वस्तु प्रार्थी द्वारा पूछे गये प्रश्न से भिन्न वस्तु होने के कारण उस पर विनिश्चिय किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उक्त निर्णय की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाय।

दिनांक 09 जनवरी, 2015

ह0 / 09.01.2015

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।